



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

16 अग्रहायण , 1943 (श०)

संख्या-607 राँची, मंगलवार,

7 दिसम्बर, 2021 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

1 दिसम्बर, 2021

संख्या-5/आरोप-1-28/2021-180843 (HRMS)--श्री विनय कुमार, झा०प्र०से० (द्वितीय 'सीमित' बैच), प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, माण्डू, रामगढ़ के विरुद्ध उपायुक्त, रामगढ़ के पत्रांक-577/स्था०, दिनांक 27.10.2021 के माध्यम से पुलिस अधीक्षक, भ०नि० ब्यूरो, हजारीबाग के पत्रांक-860/गो०, दिनांक 26.10.2021 द्वारा सूचित किया गया है कि श्री कुमार को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हजारीबाग द्वारा दिनांक 07.09.2021 को न्यायिक अभिरक्षा में हजारीबाग केन्द्रीय कारा भेजा गया है ।

2. अतः श्री कुमार को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9(2)(क) के तहत न्यायिक हिरासत में लिये जाने की तिथि दिनांक 07.09.2021 के प्रभाव से अगले आदेश तक निलंबित किया जाता है ।

3. निलंबन अवधि में इन्हें झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-10 के तहत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा ।

Sl. No.	Employee Name (G.P.F. No.)	Decision of the Competent Authority	Effective Date
1	2	3	4
1	BINAY KUMAR (JHK/JAS/232)	श्री विनय कुमार, झा०प्र०से० (द्वितीय 'सीमित' बैच), प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, माण्डू, रामगढ़ को निलंबित किया जाता है ।	07/09/2021

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ओम प्रकाश साह,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/3282
